राष्ट्रपतीय निर्वाचन/तत्काल
विशेष संदेशवाहक/ स्पीड पोस्ट/कैम्प बैग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 479/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-6-द्विवार्षिक/2017 तारीखः 8, जून, 2017

सेवा में

1. सचिव, भारत सरकार,
   गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
2. सचिव, भारत सरकार,
   वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग)
   नई दिल्ली
3. सचिव, भारत सरकार,
   उपभोक्ता मामले, खाद्य और
   सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
   कृषि भवन, नई दिल्ली
4. सभी राज्यों, एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय:- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017-निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचकों की सूची-विवरणों का भेजा जाना।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि 24 जुलाई 2017 तक है और उनके कार्यकाल के असवान पर उस पद को भरने के लिए निर्वाचन उस तारीख से पूर्व किया जाना है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 26 के उप नियम (1) के अधीन यदि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निवारक निरोध में रखा गया हो तो वह अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा। ऐसे निर्वाचकों को मतदान की तारीख से पहले डाक मत पत्र भेजे जाने हैं।उक्त वर्णित नियम 26 के उप नियम (4) में यह अभिकथित है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि यदि कोई निर्वाचक उस सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निवारक निरोध में रखे गए हों तो वे उनके नामों की सूचना आवश्यक विशिष्टियों जैसे कि उसके/उनके निरोध स्थान (स्थानों) के पते सहित समुचित समय पर निर्वाचन आयोग को दें। निर्वाचकों अर्थात् संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं, राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य-क्षेत्र, पुडुचेरी के ऐसे निर्वाचित सदस्यों की सूची, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक सेवा अधिनियम अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन, जिसमें निवारक निरोध के लिए व्यवस्था है, निवारक निरोध के अधीन रखे गए हैं, राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मतदान के लिए नियत तारीख (17 जुलाई, 2017 के लिए निर्धारित) तक आयोग द्वारा अद्यतन रखी जानी है।

2. इस संबंध में, यहां यह स्पष्ट किया जाना है कि विधि के अन्तर्गत डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा केवल निवारक निरोध के अन्तर्गत आने वाले निर्वाचकों के लिए ही उपलब्ध है। निवारक निरोध के अधीन आने वाले निर्वाचकों से इतर किसी भी हिरासत के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी निर्वाचक, जो राष्ट्रतीय निर्वाचन में मतदान करने के इच्छुक हैं, को पेरोल आदि द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त न्यायालयों/प्राधिकरणों के पास जाने के लिए स्वयं ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी ताकि वे मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रह सकें। इसके अलावा, ऐसे सभी निर्वाचक जिन्हें इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हुई है, मतदान के स्थान पर 17 जुलाई, 2017 को मतदान के लिए नियत समय अर्थात् 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक किसी भी समय लाए जाएंगे और इस प्रकार की अनुमति देने वाले न्यायालयों/प्राधिकरणों के आदेशों के अनुसार उचित पहरे के अधीन जेल/निरोध के स्थान पर वापस ले जाए जाएंगे। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान बूथ के अन्दर मतदान के समय निर्वाचक के साथ किसी भी सुरक्षा कार्मिक को जाने की अनुमति नहीं होगी ताकि मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाई रखी जा सके।

3. तदनुसार, मुझे यह अनुरोध करना है कि 19 जून, 2017 को संसद अथवा सम्बन्धित किसी राज्य की विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के ऐसे निर्वाचित सदस्य अथवा सदस्यों जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन हो सकते हैं, की विशिष्टियों वाला एक दिनांकित विवरण इस आयोग को अविलम्ब भेज दिया जाए। उस विवरण में निरोध के स्थान जिसमें निर्वाचक फिलहाल रोके गए हैं, का पता भी साफ-साफ दिया जाए।

4. निर्वाचन आयोग को ऐसे निर्वाचकों, यदि कोई हों, के बारे में भी सूचित रखा जाए जो इस विवरण के प्रस्तुत करने के बाद निवारक निरोध के अंतर्गत रखे जा सकते हैं या ऐसे निरोध से मुक्त किए जा सकते हैं जैसाकि मतदान की तारीख अर्थात् 17 जुलाई, 2017 तक जब और जैसे ही ऐसी घटना के घटित होने पर ऊपर यथापेक्षित है।

5. चूंकि, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचकों के लिए डाक मत पत्र, मतदान के लिए नियत तारीख से काफी पहले भेजने होते हैं इसलिए, यह अनिवार्य हो जाता है कि ऊपर अपेक्षित सूचना, जैसे ही घटना घटित हो, आयोग को संसूचित कर देनी चाहिए।

6. 19 जून, 2017 तक की स्थिति के अनुसार मांगा गया पहला विवरण आयोग में दिनांक 21 जून, 2017 से पहले अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

7. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 26 के उद्धरण इसके साथ सूचनार्थ संलग्न हैं। कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव
(टेलीफोन: 23052242, मोबाइल: 09818628877)
ईमेल: varinderkr@eci.gov.in

सं. 479/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-6-द्विवार्षिक/2017

तारीख: 8 जून, 2007

प्रति प्रेषित:-

(1) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
(2) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर और महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
(3) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर (मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से)

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव
(टेलीफोन: 23052242, मोबाइल: 09818628877)
ईमेल: varinderkr@eci.gov.in